

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2017/.....23..... /पटना, दिनांक 11.09.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),  
निदेशक,

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया एवं सहरसा।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण एवं सिवान।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत वाहन चालक का पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल राशि ₹28,46,000/- (अट्ठाईस लाख छियालीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040002 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 22 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित

8/9/17

राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।


9. संविदा सेवायें मद में आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत पद के विरुद्ध आउट सोर्सिंग एजेंसी से सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक भुगतान पर किया जाना है।

10. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

  
बजट सहायक


  
प्रशाखा पदा०

  
सहायक निदेशक

विश्वासभाजन  
  
निदेशक


ज्ञापांक ..... 23 ...../पटना, दिनांक 11-09-17 .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
निदेशक


ज्ञापांक ..... 23 ...../पटना, दिनांक 11-09-17 .....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना  
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

ज्ञापांक ..... 23 ...../पटना, दिनांक 11-09-17 .....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।  
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।


  
निदेशक


आबंटन विवरणी


मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय									126000	126000
<b>प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय</b>											
2	पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
3	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
4	सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
<b>जिला सांख्यिकी कार्यालय</b>											
5	पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
6	नालन्दा	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
7	रोहतास	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	200000
8	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
9	नवादा	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
10	औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
11	मुंगेर	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
12	बेगूसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
13	खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
14	कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
15	मधुबनी	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
16	समस्तीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
17	सीतामढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
18	पूर्वी चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
19	प० चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
20	वैशाली	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
21	सारण	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
22	सिवान	-	-	-	-	-	-	-	-	126000	126000
	<b>कुल योग:-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2846000	2846000

(अट्ठाईस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०

  
सहायक निदेशक

  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय